

पंजीकरण संख्या-27	पंजीकरण संख्या-27
पंजीकरण संख्या-27	पंजीकरण संख्या-27
पंजीकरण संख्या-27	पंजीकरण संख्या-27
पंजीकरण संख्या-27	पंजीकरण संख्या-27
पंजीकरण संख्या-27	पंजीकरण संख्या-27



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 23 मार्च, 2021 ई0

चैत्र 02, 1943 शक सम्वत्

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

संख्या 100/भा0नि0आ0/उत्तरा0-वि0स0/3/2021/उ0अनु0-2  
नई दिल्ली, 23 मार्च, 2021

### अधिसूचना

सं0 100/भा0नि0आ0/उत्तरा0-वि0स0/3/2021/उ0अनु0-2- यत्, उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा में, 49-सद्विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना के निधन के परिणामस्वरूप 12 नवम्बर 2020 को रिक्त हो गया है और

- 2 यत्, इस प्रकार उत्पन्न रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;
- 3 यत्, अब, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) एवं धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद द्वारा :-  
(अ) उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा में 49-सद्विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 04 मई, 2021 (मंगलवार) से पूर्व और उक्त अधिनियम और तद्विधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दे,  
(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में—

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	30 मार्च, 2021 (मंगलवार)
(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	31 मार्च, 2021 (बुधवार)
(ग) अभ्यर्थितार्थ वापस लेने की अन्तिम तारीख	03 अप्रैल, 2021 (शनिवार)
(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	17 अप्रैल, 2021 (शनिवार)
(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	4 मई, 2021 (मंगलवार)

नियत करता है, और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

राहुल शर्मा,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,

सौजन्या,

सचिव एवं,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

**SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA**

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 100/ECI/UKD-LA/3/2021/NS-II

Dated New Delhi, March 23, 2021

**NOTIFICATION**

No. 100/ECI/UKD-LA/3/2021/NS-II: - WHEREAS, the seat of Shri Surendra Singh Jeena in the Legislative Assembly Constituency of State of Uttarakhand, elected from 49-Salt AC, has become vacant on 12 November, 2020 by reason of his death; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW THEREFORE, in pursuance of sub-section(1) of section 150, and section 30 and 56 of the Representative of People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:-

(A) Calls upon the said 49-Salt AC Assembly Constituency in the State of Uttarakhand, to elect, before 4<sup>th</sup> May, 2021(Tuesday) and in accordance with the provision of the said act and of the rules and order made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the Uttarakhand state.

(B) Appoints, with respect to the said election :-

- (a) The 30<sup>th</sup> March, 2021 (Tuesday), as the last date for making nominations;
- (b) The 31<sup>st</sup> March, 2021 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) The 03<sup>rd</sup> April, 2021 (Saturday) as the last date of withdrawal of candidatures;
- (d) The 17<sup>th</sup> April, 2021 (Saturday) as the date on which a poll shall, if necessary be taken up; and
- (e) The 04<sup>th</sup> May, 2021 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) Fixes the hours from 7.00 AM to 5.00 PM, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By Order,

RAHUL SHARMA,  
Secretary,  
Election Commission of India.

By Order,

SOWJANYA,  
Secretary and  
Chief Electoral Officer.